संख्या–132 / 14–2–2018–800(36) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी, 2018**

विषय :– हाथरस में पीलीभीत–भरतपुर मार्ग (एस0एच0–33) किमी0 219 से 220 के मध्य बायी पटरी पर ग्राम हाथरस देहात के खसरा सं0–176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.02775 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्य–8बी / यूपी / 06 / 40 / 2016 / एफसी / 127 दिनांक 07.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचना / अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–2018 / हाथरस / 15288 / 2015 दिनांक 29.12.2017 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना / अभिलेख 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है, जो इस प्रकार है :–

क0	लगायी गई आपत्ति	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल फाइल पोलिलाइन फोरमेट में दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल फाइल पोलिगन फोरमेट में प्रस्तुत की जाय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल फाइल पोलिगन फोरमेट में प्रस्तुत है। संलग्न–सीडी
2	प्रस्तावित वनभूमि के भूसन्दर्भित मानचित्र में curved porting के Geo Coordinates नहीं दिये गये है।	प्रस्तावित वनभूमि के भूसन्दर्भित मानचित्र में curved porting के Geo Coordinates अंकित कर दिये गये है।
3	GIS DSS Analysis के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का कुछ भाग त्रुटिवश विद्यमान मार्ग में आ रहा है, स्पष्ट करें।	GIS DSS Analysis के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का कुछ भाग त्रुटिवश विद्यमान मार्ग में आ गया था। जिसे सही कर दिया गया है।

4	प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का प्रवेश एवं निकास मार्ग का ले–आउट प्लान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुसार है या नहीं स्पष्ट करें।	प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का प्रवेश एवं निकास मार्ग का ले–आउट प्लान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुसार है।
5	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अलग अलग दस्तावेजों में प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है। अतः अनुपालन आख्या से सम्बन्धित दस्तावेज प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नाम, मोहर एवं दिनांक सहित प्रस्तुत करें।	अनुपालन आख्या से सम्बन्धित दस्तावेज प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नाम, मोहर एवं दिनांक सहित प्रस्तुत है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 29.12.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–132(1)/14–2–2018–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।